

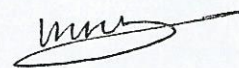
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर NIL
..... क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है। (प्रस्ताव 1 हे० से कम है, अतः क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल की आवश्यकता नहीं है।


अधिशाली अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
प्रा० ख० न० नि० वि०,
गोपेश्वर


जिलाधिकारी
चमोली